हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–50/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 27) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

————————

2011 का विधेयक संख्यांक 27

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 की धारा 3 में,––

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:––

''(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर पंचायतों और नगरपालिका परिषदों में और इस अधिनियम की अनुसूची–1 में यथा दर्शित पदों से समाविष्ट राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवा होगी।''; और

(ख) उपधारा (3) में, ''उप–धारा (1) में निर्दिष्ट'' शब्दों, चिन्ह, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 की धारा 3, अनुसूची–1 में कतिपय पदों को सम्मिलित करने के लिए सरकार को सशक्त करती है जो राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवाओं का गठन करती है। नगरपालिकाओं नामतः नगर निगम, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कतिपय प्रवर्गों/पदों को अनुसूची–1 में सम्मिलित किया गया है जिनसे राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवा का गठन होता है। नगर निगम के कर्मचारी संघ की निरन्तर मांग रही है कि नगर निगम के कर्मचारियों को राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवा से बाहर रखा जाए और निगम के कुछेक कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दायर की है। माननीय उच्च नयायालय ने भी राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर नगरपालिका सेवा के एकीकरण की बाबत मामले का विनिश्चय करने का निदेश दिया है। इसलिए, नगर निगम के कर्मचारी संघ की निरन्तर मांग और माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 का युक्तियुक्त रूप से संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि नगर निगम के कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा 3 और अनुसूची–1 के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

महेन्द्र सिंह,
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशाला :
तारीख : , 2011.

———————

वित्तीय ज्ञापन

––शून्य––

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

––शून्य––

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 27 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) BILL, 2011

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Services Act 1994 (Act No. 11 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994,—

(a) For sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) There shall be State Level Municipal Services comprising of the posts in Nagar Panchayats and Municipal Councils, constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, and as shown in the Schedule-I to this Act."; and

(b) In sub-section (3), the words, sign, brackets and figure "referred to in sub-section (1)," shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 enables the Government to include certain posts in Schedule-I which form the State Level Municipal Services. Certain categories/posts in municipalities, namely Municipal Corporation, Municipal Councils and Nagar Panchayats have been included in Schedule-I which form the State Level municipal Services. There is continuous demand of the Employees Union of Municipal Corporation that the employees of Municipal Corporation may be kept out side the State Level Municipal Services and some of the employees of the Corporation have even filed Writ Petition in the Hon'ble High Court. The Hon'ble High Court has also directed the State Government to decide the matter regarding integration of Municipal Services within three months. Thus, in view of the continuous demand of the Employees Union of the Municipal Corporation and the directions of the Hon'ble High Court, it has been decided to amend section 3 of the Act ibid suitably so as to bring out of the purview of section 3 and Schedule-I, the employees of the Municipal Corporation. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MAHENDER SINGH,
Minister-in-Charge.

Dharamshala :
The , 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—